रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 1994/चैत्र 21, 1916
No. 184] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 1994/CHAITRA 21, 1916

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1994

का. आ. 307 (अ):— केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का. आ. 232(अ) दिनांक 8 अप्रैल, 1993 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी अर्थात:—

सारणी

क्रम सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	इकाई	अधिकतम कीमत (रुपए)
1	2	3	4
"1.	फ्लेमाईड	किग्रा.	2375.00"

[फा. सं. 25 (14) /87 पी आई –1]
मनोहर लाल, निदेशक

टिप्पण :— मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3 (2) दिनांक 9 अक्तूबर, 1991 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पट्रो-रसायान विभाग की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 671(अ) दिनांक 9 अक्तूबर, 1991 द्वारा प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया था:—

(1) सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 495 (अ) दिनाक 2 जुलाई, 1992

(2) सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 232(अ) दिसाक 8 अप्रैल, 1993

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 11th April, 1994

S.O. 307(E).- In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987 the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 232(E) dated, the 8th April, 1993, namely :—

For the Table below the said Order, the following Table shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Bulk Drug	Unit	Maximum Price (Rs.)
1	2	3	4
"1.	Frusemide	Kg.	2375.00"

[F No. 25(14)|87-PI-I]
MANOHAR LAL, Director.

NOTE.—The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii) the 9th October, 1991 vide Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) Notification No. S.O. 671(E) dated the 9th October, 1991, and was subsequently amended by :

(i) Government Notification No. S.O. 495(E) dated 2nd July, 1992.

(ii) Government Notification No. S.O. 232(E) dated, 8th April, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994